UPBJ010052152026

न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, बिजनौर।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1888/2026

1–लुकमान पुत्र वकालत,
निवासी–मोहल्ला सिद्धेश्वर नगर सिधौली, थाना सिधौली, जनपद सीतापुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 सरकार

.....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–44/2026
धारा–304(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–नूरपुर, जिला–बिजनौर।

आवेदकगण की ओर से श्री फरीद अहमद, एडवोकेट।
राज्य की ओर से श्री वरूण कुमार राजपूत, विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)।

दिनांकः–23.06.2026

1– उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **लुकमान** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किये किया गया है, जो शपथ पत्र द्वारा समर्थित है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी कर्मवीर सिंह द्वारा थाने पर इस आशय की लिखित तहरीर दी गयी कि "वादी की पुत्रवधु वैशाली पत्नी अंकुर कुमार ग्राम गोहावर से आभा फार्म हाउस में तिलकोत्सव में आ रही थी, रास्ते में श्रीराम फिलिंग स्टेशन के पास दो वाइक सवार लड़कों ने गले से सोने की चेन छीन ली और फरार हो गये। यह घटना दिनांक 06.02.2026 को समय दोपहर 01:20 बजे की है।" वादी द्वारा कार्यवाही किये जाने की प्रार्थना की गयी। उक्त तथ्यों के आधार पर थाना नूरपुर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध धारा–304 बी0एन0एस0 में पंजीकृत हुई।

4– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है, अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रार्थी के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विवेचना के दौरान प्रार्थी की कोई वैधानिक पहचान परेड नहीं करायी गयी है जो कि अत्यन्त संदिग्ध बनाता है। कथित छीनी गयी सोने की चेन की कोई बरामदगी प्रार्थी से नहीं हुयी है। कथित घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की न तो पहचान हुयी है न ही बरामदगी हुयी है। अभियुक्त दिनांक 16–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को के अनुसार अभियुक्त द्वारा वादी की पुत्रवधु के गले से सोने की चेन की झपटमारी की गयी है। उक्त आधार पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

6– प्रपत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त पर वादी की पुत्रवधु के गले से सोने की चेन की झपटमारी करने संबंधी आरोप आरोपित किये गये हैं। उपरोक्त मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में लिखायी गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। अभियुक्त से कोई बरामदगी दर्शित नहीं है।अभियुक्त पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा तीन वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। उपरोक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16–03–2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

7– अतः अभियुक्त की जेल में निरूद्धता की अवधि, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा मामले के गुण दोष पर कोई टीका टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **लुकमान** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन **50,000/–(पचास हजार)** रुपये का निजी बन्ध पत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांक–23.06.2026

(लोकेश नागर)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.06.23 16:35:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court